फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान मामन चन्द (बनाम) राजेन्द्र प्रसाद

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत नम्बर पर लेने मुकदमा नम्बर 15/96/2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.12.19	आज यह प्रार्थना पत्र हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुआ। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत नम्बर पर लेने मुकदमा का पेश किया गया। प्रार्थी वकील को सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं एवं लिखित बहस को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण मामन चन्द बनाम राजेन्द्र प्रसाद दिनांक 4.5.15 को जिला कलक्टर अलवर के न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत थी। दिनांक 4.5.15 को वकील अपीलान्ट व रैस्पा0 दोनों जिला कलक्टर की अदालत में उपस्थित हुए थे, और हमें आगामी तारीख पेश दिनांक 15.6.15 बताई थी। दिनांक 15.6.15 दोनों अभिभाषक तारीख पेशी पर हाजिर हुए तो कॉज लिस्ट में नाम नही था, पत्रावली भी नहीं मिली तो बताया गया कि एक–दौ दिन में पता कर लेना। दिनांक 25.6.15 को अपीलान्ट के अभिभाषक जिला कलक्टर अदालत में पत्रावली देखने गये तो ट्रान्सफर किये गये मुकदमें की लिस्ट में देखी तो बताया कि आपका मुकदमा दिनांक 4.5.15 को अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर की अदालत में मुन्तकिल हो गया था। दिनांक 25.6.15 को इस बात की जानकारी हुई कि मुकदमा दिनांक 4.5.15 को ट्रान्सफर हुआ व दिनांक 4.6.15 को खारिज हुआ है। हमारे अभिभाषक ने हमारे पास पत्र भी डाला लेकिन वो पत्र हमें नही मिला अब दूसरा पत्र पुनः डाला तो हमें अभिभाषक से जानकारी दिनांक 22.7.15 को मिली थी। जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र नम्बर पर लेने के लिए प्रस्तुत किया गया और दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया था। विलम्ब को माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाई जावें। अप्रार्थी वकील ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु मनगढन्त एवं झूठे एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। यह गलत है कि दिनांक 15.6.15 को पत्रावली नही मिली हो और न्यायालय द्वारा यह कहा गया हो कि पत्रावली नहीं मिल रही है, इसलिए 1–2 दिन में पता कर लेना। प्रकरण दिनांक 4.5.15 को अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर की अदालत में मुन्तकिल हो गया था जिस पर यह जानकारी हुई हो कि दिनांक 4.6.15 को प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया अपीलान्ट वकील को प्रकरण ट्रासंफर होने की पूर्व में ही जानकारी थी। अपीलान्ट के अभिभाषक ने पत्र लिखा हो जो अपीलान्ट का नहीं मिला हों। अपीलान्ट द्वारा अभिभाषक का हलफनामा प्रस्तुत नही किया गया है और न ही उनके द्वारा लिखा हुआ पत्र जो तथाकथित रूप से दिनांक 22.7.15 को मिला प्रस्तुत नहीं किया गया। नम्बर पर लेने मुकदमा अदम हाजरी में खारिज होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर–अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र करीब 3 माह के बाद पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम में विलम्ब का कोई सन्तोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने के लिए विलम्ब के दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की गई है।	

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमनें प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर गौर किया गया। प्रार्थी वकील ने अपील के निर्णय दिनांक 4.6.15 के विरूद्व दिनांक 24.7.15 को प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लेने मुकदमा का पेश किया है, जो करीब $1^{1/2}$ माह विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थी को अपील के निर्णय की जानकारी क्यों नहीं हो सकी के संबंध में प्रार्थी वकील ने कोई वैधानिक, न्यायोचित व संतोषजनक कारण जारी नहीं किया है। बिना वैधानिक, न्यायोचित व संतोषजनक कारण विलम्ब को कण्डोन किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लेने मुकदमा मियाद बाहर होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बहार होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्डार हों।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)